

न्यायालय:- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

वाद संख्या- 1430 / 2019

C.N.R. Number- UPCH040082472019

J.O.Code-UP02122

राज्य

बनाम

मनोज कुमार सिंह पटेल उर्फ बबुली पटेल

मु.अ.सं.-130/2019

धारा-60 आबकारी अधिनियम।

थाना-रैपुरा।

जिला-चित्रकूट।

आरोप

मैं अरूण कुमार यादव, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट आप अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पटेल उर्फ बबुली पटेल को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

यह कि दिनांक-17.10.2019 को समय लगभग 08:30 बजे स्थान-रानी तालाब बरमबाबा मन्दिर के पास बन्धा के ऊपर बहद ग्राम-रैपुरा, थाना-रैपुरा, जिला-चित्रकूट में थाना रैपुरा की पुलिस द्वारा आपके कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब महुवा नाजायज बरामद किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांक-06.03.2020

(अरूण कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-06.03.2020

(अरूण कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।